फा.सं. एफ एस-09/1/2021-एफ एस-डीओपी
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(वित्तीय सेवा प्रभाग)

डाक भवन, नई दिल्ली -110001
दिनांक : 13.01.2022

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय : डाकघरों में डाकघर बचत बैंक के संचालन को सुचारू बनाने और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय।

महोदया/महोदय,

हाल ही में डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) से संबंधित धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। सतर्कता डिवीजन ने पद्धति में अतिरिक्त जांच का प्रावधान करने की इच्छा व्यक्त की है ताकि दुर्विनियोजन/धोखाधड़ी की संभावना को कम/समाप्त किया जा सके, विशेष रूप से एक और दो कर्मचारियों द्वारा संचालित डाकघरों में किए गए लेनदेन के संबंध में।

2. दोहराया जाता है कि किसी भी नए खाते को खोलने हेतु खाताधारक के मोबाइल नंबर को एसबी आदेश संख्या 17/2017 दिनांक 23.10.2017 के तहत खाते से लिंक करना **अनिवार्य किया गया था।** सभी मौजूदा खातों में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए किए जाने वाले उपाय भी निर्धारित किए गए थे।

सर्कल को सभी सक्रिय खातों के मोबाइल नंबर/पैन को लिंक करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, एक विशेष अभियान चलाया जाए और प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया /इश्तहारों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए ताकि खाताधारक अपने संबंधित खातों के साथ अपने मोबाइल नंबर लिंक/सीड करवा सकें।

3. **साथ ही, सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 के नियम 6 (ख) में यह विहित किया गया है कि,** "यदि कोई व्यक्ति खाता खोलते समय स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है , तो वह खाता खोलने की तारीख से छह महीने की अवधि के अंदर इसे लेखा कार्यालय में जमा करेगा और यदि किसी जमाकर्ता ने इस अधिसूचना की तारीख से पहले ही खाता खोल लिया है और पहले से ही अपना स्थायी खाता संख्या लेखा कार्यालय को जमा नहीं किया है तो वह इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के अंदर पैन नंबर लेखा कार्यालय में जमा कराएगा और जमाकर्ता द्वारा छह महीने की निर्दिष्ट अवधि के अंदर स्थायी खाता संख्या जमा करने में विफल रहने पर, उसका खाता तब तक चालू नहीं होगा जब तक वह लेखा कार्यालय को स्थायी खाता संख्या जमा नहीं कर देता"।

4. बेहतर सुविधाएं/सेवाएं प्रदान करने और किसी भी हेराफेरी/धोखाधड़ी जैसे जीएल इंटीग्रेशन, कॉमन लॉन्ग बुक, एसएमएस अलर्ट, ई - बैंकिंग/ एम बैंकिंग, आईवीआर सुविधा, सीबीएस-सीटीएस इंटीग्रेशन की संभावना को कम करने के लिए पहले ही कई उपाय किए जा चुके हैं।

5. जमाकर्ताओं की मेहनत की कमाई को सुरक्षित करने हेतु, बेहतर नियंत्रण, सुचारू डाकघर बचत बैंक संचालन, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की रोकथाम और धोखाधड़ी को रोकने के निवारक उपाय के रूप में, **सक्षम प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है:**

(क) <u>सभी डाकघरों में किए गए वित्तीय लेनदेन के लिए मोबाइल नंबर/पैन को लिंक करना।</u>

(i) आगे से, यदि कोई लेनदेन (जमा/निकासी/ऋण संवितरण/ऋण चुकौती/खाता बंद करना (या तो परिपक्व होने से पहले या परिपक्वता पर) किसी भी सीबीएस डाकघर में किया जाता है;

क) 20,000 रूपये और उससे अधिक के लिए, मोबाइल नंबर की जांच अवश्य की जाए और यदि आवश्यक हो , तो लेनदेन शुरू करने से पहले अपडेट किया जाए।

ख) 50,000 रूपये और उससे अधिक के लिए, लेन-देन शुरू करने से पहले पैन की जांच अवश्य की जाए और यदि आवश्यक हो , तो अपडेट किया जाए।

(ii) इस प्रयोजन के लिए , 20,000 और उससे अधिक रुपये का कोई भी लेनदेन शुरू करने से पहले, काउंटर पीए सीआईसीडी (CICD) मेनू **का उपयोग करेगा** और जांच करेगा कि क्या संबंधित खाते में मोबाइल नंबर/ पैन को अपडेट किया गया है या नहीं।

(iii) यदि लेनदेन किए जाने वाले खाते में मोबाइल नंबर/पैन अपडेट/उपलब्ध नहीं है, तो काउंटर पीए द्वारा खाता धारक/अधिकृत व्यक्ति से वाउचर (अर्थात, एसबी-103/एसबी-7/7ए /7बी/7सी) पर मोबाइल नंबर और पैन प्राप्त किया जाएगा।

<u>**नोट**</u> -: **1.** यदि खाता केवाईसी का अनुपालन नहीं करता है, तो खाताधारक/अभिभावक से नियमों में निर्धारित किए अनुसार केवाईसी दस्तावेज भी प्राप्त किया जाएगा।

2. यदि खाताधारक के पास पैन नंबर नहीं है, तो आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित फॉर्म 60/61 प्राप्त किया जाए।

(iv) इसके पश्चात, काउंटर पीए सीएमआरसी (CMRC) मेनू को प्राधिकार के रूप में उद्धृत करके ग्राहक के सीआईएफ में मोबाइल नंबर और पैन को अपडेट करना सुनिश्चित करेगा और इसे पर्यवेक्षक द्वारा अवश्य ही सत्यापित किया जाए।

(v) यदि जमाकर्ता के मोबाइल नंबर को बदलने की आवश्यकता है, तो ऐसे जमाकर्ता से एक अलग लिखित आवेदन प्राप्त किया जाएगा। जमाकर्ता के हस्ताक्षर के सत्यापन होने पर, काउंटर पी.ए. द्वारा **सीएमआरसी (CMRC)** मेनू को प्राधिकार के रूप में उपयोग करके मोबाइल नंबर को अपडेट किया जाएगा और पर्यवेक्षक द्वारा इसे सत्यापित किया जाएगा। इस आवेदन के साथ खाता खोलने का फॉर्म (एओएफ) और संबंधित खाते के केवाईसी दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।

(vi) संबंधित खाते के लिए फिनेकल में मोबाइल नंबर और पैन को अपडेट करने के पश्चात, लेनदेन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी चाहिए।

(vii) गैर-सीबीएस डाकघर भी 20,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए मोबाइल नंबर तथा 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए पैन नंबर प्राप्त करेंगे और खाताधारक द्वारा इसे वाउचर पर भी लिखा जाएगा।

<u>नोट</u> -: दौरा/निरीक्षण के दौरान किसी भी समय, डेटा विश्लेषण, जन शिकायतों आदि में **यदि यह पाया जाता है कि त्रुटिपूर्ण/गलत मोबाइल नंबर/पैन अपडेट किया गया था या काउंटर पीए/पर्यवेक्षक द्वारा ऊपर निर्धारित किए अनुसार मोबाइल नंबर/पैन अपडेट नहीं किया गया था, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।**

<u>(ख). एक और दो कर्मचारियों द्वारा संचालित डाकघरों में किसी भी टीडीए (TDA) प्रकार के खातों (आरडी/टीडी/एमआईएस/एससीएसएस/केवीपी और एनएससी) को बंद करते समय/समय से पहले बंद करते समय पासबुक जमा करना।</u>

(i) किसी भी प्रकार के टीडीए खातों **(आरडी /टीडी/एमआईएस/एससीएसएस/केवीपी एवं एनएससी)** खातों को **बंद** करते समय/समय से पहले बंद करते समय सभी एक और दो कर्मचारियों द्वारा संचालित डाकघर (शाखा डाकघरों सहित) <u>खाताधारकों से बंद पासबुक जमा करेंगे।</u> संबंधित डाकघर द्वारा तारीख की मोहर के साथ पासबुक में अंतिम लेनदेन के पश्चात क्लोजर प्रविष्टि को नोट किया जाना है।

(ii) फिनेकल में खाता बंद होने के सत्यापन के पश्चात, पर्यवेक्षक **<u>एचपीआर (HPR)</u>** <u>मेनू को</u> प्राधिकार के रूप में उद्धृत करके <u>**"खाता बंद करने की रिपोर्ट"** तैयार करेगा तथा प्रिंट करेगा और खाताधारक को पावती के रूप में सौंप देगा।</u> यदि कोई जमाकर्ता खाता विवरण मांगता है तो उसे बिना किसी प्रभार के पासबुक के बदले भी प्रदान किया जा सकता है।

(iii) खाता बंद करने के पश्चात, बंद टीडीए श्रेणी के खातों की पासबुक को खाता बंद करने के फॉर्म के साथ संलग्न किया जाएगा और वाउचर और लॉन्ग बुक समेकन जर्नल के प्रेषण के लिए निर्धारित तरीके से भेजा जाएगा।

(iv) संलग्न पासबुक की संख्या का उल्लेख संबंधित पोस्टमास्टर द्वारा 'लॉन्ग बुक समेकन रिपोर्ट-बीआरएन (टूडे) या समेकन जर्नल में किया जाना चाहिए।

(v) एसबीसीओ में, विनिर्दिष्ट एसबीसीओ पी.ए. एक और दो कर्मचारियों द्वारा संचालित डाकघर से संबंधित क्लोजर वाउचर के साथ प्राप्त बंद पासबुक में खाता संख्या और राशि का मिलान करेगा और वाउचर बंडल के साथ प्राप्त लांग बुक समेकन रिपोर्ट -बीआरएन पर **"टीडीए प्रकार के खातों के लिए सभी बंद पासबुक प्राप्त की"** लिखेगा।

(vi) यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो प्रभारी, एसबीसीओ मामले की रिपोर्ट संबंधित डिवीजन प्रमुख/राजपत्रित पोस्टमास्टर को करेंगे।

(ग) <u>सीईपीटी, चेन्नई की भूमिका</u>।

(i) सीईपीटी, चेन्नई साप्ताहिक आधार पर सर्किल-वार निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार करेगा।

क) सीआईएफ (CIF) विलय रिपोर्ट।

ख) सीआईएफ (CIF) आशोधन रिपोर्ट जहां खाताधारक का नाम और मोबाइल नंबर बदल गया है।

ग) एसएमएस (SMS) विफलता रिपोर्ट यानी अमान्य मोबाइल नंबर।

घ) सप्ताह के दौरान 20,000 और अधिक के साथ किए गए लेन-देन, लेकिन मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया गया, इसी तरह सप्ताह के दौरान 50,000 रुपये और अधिक के साथ किया गया लेनदेन, लेकिन पैन अपडेट नहीं हुआ।

(ii) सीईपीटी, चेन्नई उपरोक्त साप्ताहिक रिपोर्ट सर्कलों के सीपीसी (सीबीएस) को साझा करेगा।

(घ) <u>सीपीसी (सीबीएस) की भूमिका</u>

(i) सीईपीटी से उपरोक्त रिपोर्ट/लिंक प्राप्त होने के पश्चात, प्रभारी, सीपीसी (सीबीएस) उपरोक्त रिपोर्टों को उनके सर्कल के लिए डिवीजन-वार विभाजित करेंगे।

(ii) प्रभारी, सीपीसी (सीबीएस) आधिकारिक ईमेल आईडी के माध्यम से संबंधित डिवीजन प्रमुख को उपरोक्त रिपोर्ट साझा करेंगे।

(ड) <u>प्रभागीय कार्यालय की भूमिका</u>

(i) प्रभागीय प्रमुख संबंधित एसबीसीओ को एक प्रधान डाकघर के तहत आने वाले एक और दो कर्मचारियों द्वारा संचालित डाकघरों की सूची प्रदान करेंगे।

(ii) पोस्टमास्टर या प्रभारी, एसबीसीओ से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

(iii) डिवीजन स्तर पर, उपरोक्त पैरा (ग) (i) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, इन रिपोर्टों की जांच की जानी चाहिए।

(iv) उपरोक्त रिपोर्टों की जांच के पश्चात किसी भी विसंगति, संदिग्ध गतिविधि के मामले में, दुर्विनियोजन/धोखाधड़ी की किसी भी संभावना से बचने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

6. अनुरोध है कि सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे सभी संबंधितों को परिचालित करें। इसे सभी डाकघरों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक क्षेत्र में भी लगाया जाए।

7. इसे महानिदेशक डाक सेवा के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

25/01/2022

(देवेंद्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

प्रतिलिपि:-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार

<u>एसबी आदेश सं. 05/2022</u>

फा. सं. 113-03/2017-एसबी (पार्ट-1)
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(वित्तीय सेवाएं डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 31.03.2022
13.04.2022

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

<u>विषय</u> : 01.04.2022 से लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट डिवीज़न) द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. 01/04/2019-एनएस दिनांक 31.03.2022 (प्रति संलग्न) के तहत यह सूचित किया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही **(01.04.2022 से आरंभ होकर 30.06.2022 को समाप्त होने वाली)** के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाओं) की ब्याज दरें, **वित्त वर्ष 2021-2022 की <u>चौथी तिमाही (01.01.2022 से 30.03.2022 तक) के लिए लागू वर्तमान ब्याज दरों के समान ही रहेंगी</u>।**

2. इसे सभी संबंधितों के सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाए। साथ ही, इसे सभी डाकघरों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

देव.

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

प्रति :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

एसबी आदेश सं. 15/2022

फा. सं. 113-03/2017-एसबी (पार्ट-1)

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(वित्तीय सेवाएं डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 29.09.2022 / 06.10.2022

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय : 01.10.2022 से लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन।

महोदया / महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट डिवीजन) द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. 01/04/2019-एनएस दिनांक 29.09.2022 (प्रति संलग्न) के तहत, यह सूचित किया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही **(01 अक्तूबर, 2022 से आरंभ होकर 31.12.2022 को समाप्त होने वाली) के लिए** विभिन्न लघु बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाओं) की ब्याज दरों **में किया गया संशोधन निम्नानुसार है :-**

क्र. सं.	**लिखत/योजना**	**01.07.2022 से 30.09.2022 तक ब्याज दर**	**01.10.2022 से 31.12.2022 तक ब्याज दर**
1.	डाकघर बचत खाता	4.0	4.0
2.	1 वर्षीय सावधि जमा	5.5	5.5
3.	2 वर्षीय सावधि जमा	5.5	**5.7**
4.	3 वर्षीय सावधि जमा	5.5	**5.8**
5.	5 वर्षीय सावधि जमा	6.7	6.7
6.	5 वर्षीय आवर्ती जमा	5.8	5.8
7.	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	7.4	**7.6**
8.	मासिक आय खाता योजना	6.6	**6.7**
9.	सुकन्या समृद्धि खाता योजना	7.6	7.6
10.	लोक भविष्य निधि योजना	7.1	7.1
11.	राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र	6.8	6.8
12.	किसान विकास पत्र	6.9 (124 माह में परिपक्व होगा)	**7.0 (123 माह में परिपक्व होगा)**

2. अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों के सूचनार्थ एवं आवश्यक मार्गदर्शन हेतु परिचालित किया जाए। साथ ही, इसे सभी डाकघरों के सार्वजनिक क्षेत्र में लगे नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए। संगत गणना तालिकाएं, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त होने पर, यथासमय उपलब्ध करा दी जाएंगी।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(टी. सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रति :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

(टी. सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)